

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------	--

14.6.17

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री मोहनलाल खिल्ली ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23.6.17 को पेश हो।

23/6/17

पत्रावली आज केम्प कार्ट (लोक अदालत भुगीया) के पेश हुई। इस पत्रकारान अनुपास्तेन पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आरिन्द डिक्रेट-22/6/17 के पेश हो।

15/7/17

पत्रावली दिनांक 22/6/17 को न्यायाधीश अदालत में प्रस्तुत हो तदनुसार सभी पत्रकारान को पेशित हो

15/7/17

पत्रावली आज शानख सैन्ड अदालत न्यायाधीश के द्वारे 2017 के केम्प लेडवमिं पेश हुई। इस वाद में वरिष्ठ वादग्रस्त आराम के संबंध में एक अन्य वाद सं 205/16 अगस्त देवा बनाम तारागाम में निर्णय कर दिया गया है कि इस वाद की आगे चलने का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। किन्तु इस वाद में आराम का प्रश्न है। इसी लिए पर अमात को जमा है। पत्रावली के अन्तर्गत शुभार होकर साखिल यफत हो।

निपुणे

स्व. 1/7/17

शरणाशम
का. प्रस्ताव

तारागाम

नि. नन्दराज

सहायक कलक्टर
चौहटन